बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र,2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक–............................./

विषयः– संत माईकल्स एकेडमी (इंगलीश मिडियम) छावनी, बेतिया को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबंद्ध करने हेतु विभागीय अनापत्ति पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि संत माईकल्स एकेडमी (इंगलीश मिडियम) छावनी, बेतिया को पूर्व में विभागीय पत्रांक 77 दिनांक–18.03.05 के द्वारा अनापत्ति निर्गत किया गया था। उक्त विद्यालय के द्वारा विभाग को आवेदन दिया गया है कि उनका विद्यालय छावनी, बेतिया में अपने भूमि पर निर्मित भवन में संचालित है। विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.06 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा पुनः उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी है, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

2. विद्यालय का संचालन निबंधित न्यास **"संत माइकल्स एडुकेशनल एवं वेलफेयर सोसायटी"** के द्वारा किया जाता है। न्यास के शासी निकाय के सदस्यों की सूची दी गयी है, जिसमें उनका पेशा और पता भी अंकित है। यह भी सूचना दी गयी है कि शासी निकाय में किसी एक परिवार का प्रभुत्व नही है।
3. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसायटी/न्यास के फेन्चाईजी के रूप में स्थापित होने अथवा किसी विद्यालय के ब्रैंड नेम का उपयोग नहीं करने का भी दावा किया है।
4. विद्यालय को 2.5 एकड़ भूमि छावनी, बेतिया में उपलब्ध है, जहाँ विद्यालय का अपना भवन निर्मित है जिसमें उपस्कर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि उपलब्ध होने की सूचना दी गयी है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने निरीक्षण दल से विद्यालय का स्थल निरीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सुविधा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप है, विद्यालय को सम्बद्धता देगी।.
5. विद्यालय में 23 शिक्षक है, जिसमें 14 को प्रशिक्षित बताया गया है। आवेदन के अनुसार इनकी नियुक्ति समाचार पत्रो में विज्ञापन निकाल कर की गयी है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि शिक्षकों की योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानक के अनुरूप हो तथा उनकी नियुक्ति विहित प्रक्रिया अपनाकर की गयी हो।
6. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
7. विद्यालय के अनुसार विद्यालय के लेखा का अंकेक्षण चार्टर एकाउन्टेन्ट के द्वारा प्रतिवर्ष कराया जाता है। विद्यालय ने सहमति व्यक्त की है कि शर्त्त के अनुपालन में लेखा विवरणी शिक्षक/अभिभावको की बैठक में उपस्थापित किया जायेगा।
8. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.06 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्तें स्वीकार हैं। अपेक्षित शर्त्ते के अनुसार :–

(क) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा। ऐसे बच्चो की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपये प्रतिवर्ष हो होंगें।

(ख) विद्यालय में नर्सरी/के० जी० अथवा प्रारम्भिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षायें/साक्षात्कार (बच्चो एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से draw of lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चो का चयन किया जायेगा।

(ग) नर्सरी/के० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चो का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च–प्रारम्भिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(घ) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

9. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा नही किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय इनके द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर संचालित है।

10. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार विभागीय अधिसूचना में उल्लेखित अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तो का पालन किया जा रहा है। विद्यालय को इन शर्त्तो को सार्वजनिक करना होगा तथा इसका उल्लेख विद्यालय के प्रोस्पेक्टस एवं वेवसाइट में करना होगा।

11. शर्त्तों के उल्लघंन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबद्धता रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

12. उपर्युक्त तथ्यो के आलोक में तथा वर्णित शर्त्तो के आधार पर पूर्व में विभागीय पत्रांक 77 दिनांक 18.03.05 के क्रम में संत माइकल्स एकेडमी (इंगलिस मिडियम) छावनी, बेतिया को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

13. विद्यालय से प्राप्त आवेदन दिनांक 07.02.07 की छाया प्रति संलग्न है।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–98/ पटना, दिनांक–22-2-07/

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, संत माइकल्स एकेडमी (इंगलिस मिडियम) छावनी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना।